



INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP70692061166472X

e-Stamp

9408

ANJU SHARMA
Licence No.- 677
ACC ID : UP 16060003
Tehsil Sadar, Ghaziabad

DOCUMENT SCAN

Certificate No. : IN-UP70692061166472X
 Certificate Issued Date : 01-Aug-2025 06:15 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (IV)/ up16060003/ GHAZIABAD SADAR/ UP-GZB
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1606000326923190987899X
 Purchased by : OVEARTH PVT LTD AND JINDALSONS INFRA TEX PVT LTD
 Description of Document : Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
 Property Description : PLOT NO: 8/COM-02, SECTOR-8, SIDDHARTH VIHAR YOJNA, GHAZIABAD, U.P.
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : UTTAR PRADESH AVAS EVAM VIKAS PARISHAD GHAZIABAD
 Second Party : OVEARTH PVT LTD AND JINDALSONS INFRA TEX PVT LTD
 Stamp Duty Paid By : OVEARTH PVT LTD AND JINDALSONS INFRA TEX PVT LTD
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 1,43,00,000
 (One Crore Forty Three Lakh only)

CHECKED BY
S.R.O. Hindi
Ghaziabad

Please write or type below this line

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

व्यावसायिक भूखण्ड के लिए किराया-किश्त क्रय अनुबन्ध

यह अनुबन्ध आज दिनांक ...02... माह ...08... वर्ष 2025 को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अधीन संगठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है, और जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के जिसे एतत्पश्चात 'स्वामी' कहा गया है, जिस पद के अर्न्तगत जब तक कि कोई बात प्रसंग से असंगत न हो, उसका उत्तराधिकारी या समुदेशिती भी है या जिसका तात्पर्य उसके उत्तराधिकारी या समनुदेशिती भी हैं माध्यम से होता है।

सम्पत्ति प्रबन्धक

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद

For OVEARTH PRIVATE LIMITED

Director

For JINDALSONS INFRA TEX PVT LTD

Director

PF 0009829154

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.sholestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

ANJU SHARMA
Licence No. - 877
ACC ID : UP 18080003
Tehsil Sadar, Ghazipur

5411



0008858124

[2]

एक पक्ष और मैसर्स ओवर्थ प्रा० लि० पता-2, एस०/एफ०, मानक विहार, दिल्ली-110092 के डायरेक्टर श्री विजय कुमार शर्मा पुत्र श्री हुकुम चंद शर्मा निवासी-307, शिप्रा कृष्ण अजर, कौशाम्बी, गाजियाबाद उ०प्र० एवं मैसर्स जिन्दल सन्स इन्फ्राटेक्स प्रा० लि० पता-ग्राउण्ड फ्लोर, डी-142, ग्राउण्ड फ्लोर, सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर, नोएडा, उ०प्र०-201301 के डायरेक्टर श्री निकुंज जिंदल पुत्र श्री आनन्द जिंदल, पता-2, तृतीय तल, मानक विहार, दिल्ली-110092 जिसे एतत्पश्चात किराया-किश्त क्रेता कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत जब तक कि प्रसंग या अर्थ से कोई बात असंगत न हो, इसमें एतत्पश्चात यथा उपबन्धित अनुमोदित नाम निर्देशिती और उसके न होने पर उसके उत्तराधिकारी निष्पादक, प्रशासक, विधिक प्रतिनिधि और अनुज्ञा प्राप्त समुनेदेशिती भी है, दूसरे पक्ष के बीच किया गया।

चूंकि उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की सिद्धार्थ विहार योजना के अधीन किराया किश्त क्रेता ने स्वामी से किराया किश्त कय योजना के अधीन एक व्यावसायिक भूखण्ड का आवंटन करने के लिए पृथक रूप से आवेदन किया है और स्वामी ने एतत्पश्चात निर्धारित निबंधन और शर्तों पर किराया किश्त क्रेता को व्यावसायिक भूखण्ड आवंटित करने की सहमती दे दी है।

और चूंकि व्यावसायिक भूखण्ड संख्या-8/कॉम-02 का कुल मूल्य रू०-20,41,29,450.00 (रुपया बीस करोड़ इक्तालीस लाख उनतीस हजार चार सौ पचास मात्र) जिसका आधा रू०-10,20,64,725.00 (रुपया दस करोड़ बीस लाख चौसठ हजार सात सौ पच्चीस मात्र) होता है। किराया-किश्त क्रेता ने अग्रिम धनराशि के साथ भूखण्ड मूल्य का 50 प्रतिशत धनराशि रू०-10,20,64,725.00 (रुपया दस करोड़ बीस लाख चौसठ हजार सात सौ पच्चीस मात्र) का भुगतान कर दिया गया है।

अब यह विलेख इस बात का साक्षी है कि स्वामी एतद्वारा किराया किश्त से प्रसंविदा करता है और सहमत है और किराया किश्त क्रेता भी एतद्वारा स्वामी से निम्नलिखित रीति से प्रसंविदा करता है और सहमत है अर्थात: किराया-किश्त क्रेता को व्यावसायिक भूखण्ड के रूप में सम्पत्ति का जिसकी व्यावसायिक भूखण्ड संख्या-8/कॉम-02 है और जो सिद्धार्थ विहार योजना में सेक्टर-8 में स्थित है और जिसे अधिक स्पष्ट करने के लिए इसमें आगे दी गई अनुसूची-एक में सीमाओं के साथ अधिक विशिष्ट रूप से वर्णित किया गया है, भूखण्ड संख्या-8/कॉम-02 का कब्जा वर्तमान में हस्तगत नहीं किया गया है।

1. किराया-किश्त क्रेता उक्त सम्पत्ति किरायेदार के रूप में किराया-किश्त अवधि तक गृहीत करेगा जो 10 छमाही किश्तें नियत अवधि तक होगी अर्थात किश्त वर्ष 2025 के जनवरी माह के प्रथम दिनांक को प्रारम्भ होगी और वर्ष 2029 के दिसम्बर माह के अन्तिम दिनांक को समाप्त होगी।

2. किराया किश्त क्रेता स्वामी की ओर से किसी मांग के बिना किराया-किश्त अवधि की समाप्ति तक प्रत्येक छमाही के प्रथम दिनांक को केवल रू०-1,35,44,000.00 (रुपया एक करोड़ पैंतीस लाख चौवालीस हजार मात्र) की 11 प्रतिशत ब्याज सहित 10 छमाही किश्त का भुगतान करेगा जोकि प्रत्येक मास की प्रथम दिनांक से अन्तिम दिनांक तक जमा की जा सकती है।

सम्पत्ति प्रबन्धक

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद

For OVEARTH PRIVATE LIMITED

For JINDALSONS INFRA-TECH PVT LTD

Director

Director



आवेदन सं०: 202500739066778

विक्रय अनुबंध विलेख (कब्जा)

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 9408

वर्ष: 2025

प्रतिफल- 204129450 स्टाम्प शुल्क- 14300000 बाजारी मूल्य- 204129450 पंजीकरण शुल्क - 1020660 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 1020740

श्री मैसर्स ओवअर्थ प्रा० लि० द्वारा
कमल सिंह अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री धनतर सिंह
व्यवसाय : अन्य
निवासी : 179 सादत नगर इकला इमला सादतनगर गाज़ियाबाद

Kamal Singh



श्री मैसर्स ओवअर्थ प्रा० लि० द्वारा

कमल सिंह अधिकृत पदाधिकारी/
प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 05/08/2025 एवं
01:04:57 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मुखराम सिंह
उप निबंधक/सदर द्वितीय
गाज़ियाबाद
05/08/2025

सुगम किशोर
निबंधक लिपिक
05/08/2025



[3]

(क.) किराया किश्त क्रेता रू0-1,35,44,000.00 (रूपया एक करोड़ पैंतीस लाख चौवालीस हजार मात्र) की 10 छमाही किश्त की किसी मांग की प्रतिक्षा किये बिना उस माह के बाद जिसमें छमाही किश्त देय हो जाये, प्रत्येक मास के प्रथम दिनांक को स्वामी के कार्यालय में या निर्दिष्ट स्थान पर भुगतान करेगा जिसका ऐसा प्रथम भुगतान इसमें ऊपर उल्लिखित किराया किश्त क्रेता द्वारा किया जायेगा और जिसे माह जनवरी 2025 की प्रथम किश्त के रूप में समझा जाये और ऐसा आगामी भुगतान वर्ष 2025 के माह जून के अन्तिम दिनांक को या उसके पूर्व प्रत्येक कलैण्डर मास के तुरन्त बाद किराया किश्त कय की अवधि तक देय हो जायेगा या भुगतान योग्य हो जायेगा।

(क) किराया किश्त क्रेता को नियमानुसार भूमि मूल्य की 12 प्रतिशत धनराशि फ्रीहोल्ड शुल्क के रूप में निर्धारित तिथि तक देय होगी अथवा किराया-किश्त क्रेता द्वारा भूमि मूल्य को 12 प्रतिशत धनराशि भूमि मूल्य में समाहित है।

(ख) किराया किश्त क्रेता आवंटन की योजना में यथा निर्धारित नगर पालिका के या अन्य प्रकार के सभी करों, फीस, प्रभार निर्धारित कर ऐसे अन्य उदग्रहण की धनराशि का, चाहें वह किसी भी प्रकार की हो, जो स्थानीय निकाय द्वारा या राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी अन्य प्राधिकृत अभिकरण द्वारा उसके सम्बन्ध में भूस्वामी या किरायेदार को एतद्वारा किराये पर दी गई उक्त सम्पत्ति पर लगाई गई हो, प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध प्राधिकारियों को भुगतान करेगा। किराया-क्रेता स्वामी को सम्पत्ति कर, जल प्रभार सीवर व्यवस्था के प्रभार का, जैसा कि स्वामी द्वारा समय-समय पर उदग्रहीत कर दिया जाये, भुगतान करेगा।

परन्तु किराया-किश्त क्रेता की ओर से ऐसा भुगतान न किये जाने की दशा में स्वामी को ऐसी देय धनराशि को भू-राजस्व के बकाये के रूप या ऐसी अन्य रीति से जो विधि संगत हो, वसूल करने और उसे किश्त के बकाये के रूप में मानने की शक्ति होगी।

(ग) किराया-किश्त क्रेता उक्त सम्पत्ति के साथ-साथ सम्भरण, जल निस्तारण, बिजली और किन्हीं ऐसी अन्य सेवाओं से संबंधित उसके प्रतिष्ठानों की मरम्मत (जिस पद के अन्तर्गत सामान्य, और आवश्यक वार्षिक भीतरी और बाहरी रंगाई और पुताई, सफाई भी है) स्वामी के या ऐसे व्यक्ति के जिसे स्वामी इस प्रयोजनार्थ नियुक्त करें, समाधानप्रद रूप से स्वयं अपने खर्च पर करायेगा और उसे समुचित रूप से ठीक दशा और स्थिति में रखेगा।

(घ) किराया-किश्त क्रेता स्वामी की लिखित अनुमति के बिना उक्त सम्पत्ति की भीतरी किसी भी प्रकार का व्यापार या कारोबार नहीं करेगा या करने की अनुमति नहीं देगा या उसका आवासिक उपयोग से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुमति नहीं देगा या उसमें कोई ऐसा कार्य या ऐसी कोई बात नहीं करेगा या करने देगा जो स्वामी या उसी कालोनी के अन्य व्यावसायिक भूखण्ड के अध्यासियों की या पड़ोसियों की राय में लोक-कष्टक हो और जो उस प्रयोजन के अनुरूप न हो जिसके लिए योजना बनाई गई।

सम्पत्ति प्रबन्धक

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्
वसुन्धरा, गाजियाबाद

For OVEARTH PRIVATE LIMITED

For JINDALSONS INFRA TEX PVT LTD

Director

Director



आवेदन सं०: 202500739066778

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 9408

वर्ष: 2025

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
विक्रेता: 1

श्री मैसर्स उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास
परिषद के द्वारा सचिन नागर,

UTTAR PRADESH AWAS EVAM
VIKAS PARISHAD

पुत्र श्री स्व० महिपाल सिंह

निवासी: आवास विकास कार्यालय वसुन्धरा गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन् XXXXXX 103A

क्रेता: 1



श्री मैसर्स ओवर्थ प्रा० लि० के द्वारा कमल
सिंह,

OVEARTH PRIVATE LIMITED

पुत्र श्री धनन्तर सिंह

निवासी: 179 सादत नगर इकला इमला सादतनगर गाज़ियाबाद

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन् XXXXXX 762E

क्रेता: 2



श्री मैसर्स जिन्दल सन्स इन्फाटेक्स प्रा० लि० के
द्वारा निकुंज जिंदल,

JINDALSONS INFRATEX PRIVATE
LIMITED

पुत्र श्री आनन्द जिंदल

निवासी: 2, तृतीय तल, मानक विहार, दिल्ली

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन् XXXXXX 033C



[4]

(ड) किराया-किश्त क्रेता एतद्वारा स्वीकृत अवधि के दौरान सभी युक्तियुक्त समय पर स्वामी या स्वामी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किन्हीं व्यक्तियों को उक्त सम्पत्ति में और उस पर प्रवेश करने और मरम्मत की स्थिति का निरीक्षण करने की अनुमति देगा और ऐसा निरीक्षण करने पर स्वामी को यह प्रतीत हो कि कोई साम्प्रतिक या विशेष मरम्मत आवश्यक है तो स्वामी किराया-किश्त क्रेता के खर्च पर करवा सकता है और किराया-किश्त एतद्वारा स्वामी को ऐसी धनराशि का भुगतान करके जिसे स्वामी (जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा) इस निमित्त नियत करें, ऐसे खर्च की प्रतिपूर्ति करने की सहमति देता है।

(च) किराया-किश्त क्रेता स्वामी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को उक्त सम्पत्ति में उस पर ऐसे कर्मकारों के साथ प्रवेश करने की अनुमति देगा जो पाईप-लाईन, सीवर लाईन या कोई विद्युत आपूर्ति लाईन या उससे संबंधित किसी कार्य के लिए कोई सर्विस लाईन बिछाने, उसकी मरम्मत करने या उर्रे निश्चित स्थान पर लगाने के प्रयोजन के साथ-साथ उक्त सम्पत्ति में बिछाई गई किसी सर्विस लाईन से किन्हीं अन्य सम्पत्ति को जोड़ने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो।

(छ) किराया-किश्त क्रेता स्वामी की लिखित पूर्वानुमति के बिना और सम्बद्ध प्राधिकारी को लिखित स्वीकृति या अनुमति के बिना भी उक्त सम्पत्ति में कोई परिवर्तन या परिवर्द्धन नहीं करेगा या करने की अनुमति नहीं देगा।

परन्तु स्वामी अपने विवेकानुसार किसी परिवर्तन या परिवर्द्धन, चाहे जो भी हो, के लिए ऐसी अनुमति देने से इन्कार कर सकता है और उस निमित्त उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(ज) किराया-किश्त क्रेता, स्वामी की लिखित पूर्व सहमति के बिना जिसे वह अपने स्पष्ट विवेकानुसार अस्वीकृत करने का हकदार होगा, उक्त सम्पत्ति के सम्पूर्ण या किसी भाग का विक्रय, अन्तरण, समनुदेशन नहीं करेगा या कब्जे से अन्यथा अलग नहीं होगा।

परन्तु सहमति दिये जाने की दशा में सम्पत्ति का ऐसा प्रत्येक अन्तरण समनुदेशन केवल इस किरायेदारी की शेष अवधि के लिए होगा और यथास्थित अन्तरिती या समनुदेशिती इसमें दिये गये निबन्धनों और शर्तों से आबद्ध होगा और उसकी सभी बातों के लिए स्वामी के प्रति उत्तरदायी होगा।

परन्तु यह भी कि ऐसा कोई भी समनुदेशन या अन्तरण वैध या अनुमन्य नहीं होगा जहाँ समनुदेशिती या अन्तरिती कोई ऐसा व्यक्ति है जो योजना में यथा उपबंधित पात्रता की अपेक्षाओं को पूरा न करता हो।

(झ) किराया-किश्त क्रेता इस किरायेदारी की अवधि के दौरान इसमें नीचे दी गयी अनुसूची-दो में दिये गये किरायेदारी सम्बंधी अनुबंधनों का पालन करेगा।

(ट) किराया-किश्त क्रेता इस योजना के अधीन उस पर आने वाले ऐसे सभी उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगा जो इस विलेख का अंग समझे जायें और जिसके बारे में इस अनुबंध पत्र के पक्षकारों के बीच एतद्वारा सहमति है।



सम्पत्ति प्रबन्धक

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
वसुधरा गाजियाबाद

For OVEARTH PRIVATE LIMITED

19/2/20
Director

ONS INFRAEX PVT LTD

Director



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

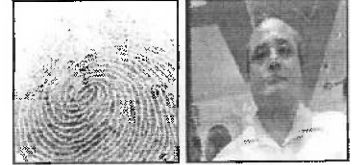
पहचानकर्ता : 1

श्री त्रिवेन्द्र शर्मा, पुत्र श्री जय प्रकाश शर्मा

निवासी: प्लॉट नं-147 फ्लैट नं-202 सैकिण्ड फ्लोर शालीमार गार्डन एक्स-1 गाज़ियाबाद

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2



श्री अशोक कुमार गुप्ता, पुत्र श्री स्व० एल आर गुप्ता

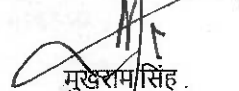
निवासी: बी-3/69ए लॉरेंस रोड केशवपुरम नार्थ वेस्ट दिल्ली

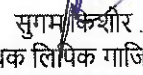
व्यवसाय: अन्य



ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।
टिप्पणी:

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


मुख्यराम सिंह
उप निबंधक / सदर द्वितीय
गाज़ियाबाद
05/08/2025


सुगम किशोर
निबंधक लिपिक गाज़ियाबाद
05/08/2025



[5]

(ठ) उक्त सम्पत्ति में किराया-किश्त क्रेता के हित के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकता है, फिर भी किराया-किश्त क्रेता एतद्वारा स्वामी को किसी ऐसी सम्भाव्यता के संबंध में क्षतिपूर्ति करने का वचन देता।

(ड) किराया-किश्त क्रेता किसी भी प्रकार की दुर्घटना के फलस्वरूप उक्त सम्पत्ति को क्षति पहुँचने या उसके नष्ट होने की दशा में एतद्वारा स्वामी को किसी भी उत्तरदायित्व से मुक्त करना है।

परन्तु इस अनुबन्ध के प्रवृत्त रहने तक किराया-किश्त क्रेता का यह कर्तव्य होगा कि वह इस बात का ध्यान रखें कि व्यावसायिक भूखण्ड, उपयोग के कारण उचित टूट-फूट को छोड़कर, उसी दशा में बना रहे जिसमें वह प्रारम्भ में सौंपा गया था, किसी प्राकृतिक कारण से या आग लग जाने से क्षति होने की दशा में किराया-किश्त क्रेता का यह कर्तव्य होगा कि वह व्यावसायिक भूखण्ड का पुनः उसकी मूल दशा में लाने के लिए आवश्यक मरम्मत कराये। व्यावसायिक भूखण्ड का आग लग जाने के जोखिम के प्रति परिषद द्वारा अनुमोदित बीमा कंपनी से अनिवार्य रूप से बीमा कराया जायेगा, आग लग जाने से क्षति होने की दशा में परिषद का दायित्व उस संबंध में परिषद को मिलने वाली बीमा की धनराशि तक ही सीमित होगा।

(ढ) किराया-किश्त क्रेता अपने जीवन काल में लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर से ऐसे निर्देशिनी को, जिसे वह उक्त सम्पत्ति में, जिससे उसकी मृत्यु हो जाने के स्थिति में व्यावसायिक भूखण्ड के भावी स्वामित्व में उसका अधिकार भी सम्मिलित है, अपना अंश या हित अन्तरित करना चाहें, नाम निर्दिष्ट करेगा और उसे आवास आयुक्त के पास जमा कर देगा स्वामी किराया किश्त क्रेता की मृत्यु का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर तदनुसार अन्तरण करेगा जो स्वामी और सार्वजनिक निकायों के प्रति किराया-किश्त क्रेता के समस्त विद्यमान दायित्वों और बाध्यता के अधीन होगा। इस प्रकार किये गये नाम निर्देशन को विखण्डित किया जा सकता है और किराया-किश्त क्रेता उपर्युक्त रीति से उसके स्थान पर दूसरा नाम निर्देशन कर सकता है।

परन्तु किराया किश्त क्रेता द्वारा ऐसा निर्देशन न किये जाने पर किराया किश्त क्रेता के वारिस/वारसों का स्वामी द्वारा इस विलेख के हिताधिकारी / हिताधिकारियों के रूप में स्वीकार किया जायेगा।

(ण) किराया-किश्त क्रेता सभी देयों का जिनका भुगतान इस विलेख के अनुसरण में उसके द्वारा किया जाना अपेक्षित है, पूरा नियमित भुगतान करेगा किश्तों के भुगतान के लिए उनके देय होने के दिनांक से छः माह की छूट दी जायेगी।

किश्त के भुगतान के विलम्ब की दशा में किश्त की धनराशि के अतिरिक्त 11 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज कुल 13 प्रतिशत ब्याज देय होगा। ब्याज की गणना सम्पूर्ण डिफाल्टेड किश्त पर की जायेगी। लगातार तीन से अधिक किश्तों का भुगतान करने में असमर्थ होने की दशा में किरायेदारी समाप्त समझी जायेगी और क्रेता को बेदखल किया जा


सम्पत्ति प्रबन्धक
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद

For OVEARTH PRIVATE LIMITED


Director

For JINDALSONS INFOTEX PVT LTD


Director



[6]

सकेगा। स्वामी को देय सभी बकाया धनराशि को भू-राजस्व के रूप में या ऐसी अन्य रीति से, जिसका विधि समर्थन करें, वसूल किया जा सकेगा।

किराया किश्त क्रेता का जल सम्पूर्ति कनेक्शन तथा विद्युत कनेक्शन भी विच्छेदन किया जा सकेगा तथा निर्धारित शर्तों प्रक्रिया से पुनः संयोजन किया जा सकेगा।

(त) यदि किराया किश्त क्रेता सम्पत्ति या साझा दावा या साझा सेवाओं का उपयोग इस ढंग से करता है कि उसे क्षति पहुँचें या उसका क्षय हो या गलत कार्य के लिए उसका उपयोग हो, तो किराया किश्त क्रेता ऐसी क्षति, क्षय होने या गलत उपयोग किये जाने के लिए स्वामी या पंजीकृत अभिकरण की तत्संबंधी प्रभार का भुगतान करेगा।

(थ) यदि किराया किश्त क्रेता किराया किश्त क्रेता की अवधि के समाप्त होने से पूर्व एतद्वारा स्वीकृत किरायेदारी को स्वतः समाप्त करना चाहे तो वह इसके लिए स्वामी को तीन महीने की नोटिस देगा और स्वामी सभी देयों के साथ-साथ इस अनुबंध के अनुसार किराया किश्त क्रेता द्वारा किरायेदारी को इस प्रकार समाप्त करने के कारण होने वाली हानि की वसूली करेगा।

(द) इसमें इसके पूर्व दी गई किसी बात के होते हुए, यदि कोई जाँच की जाएगी तो यदि आवश्यक हो, सम्बद्ध पक्षों की सुनवाई के पश्चात् यदि स्वामी की राय में जिसका विनिश्चय अंतिम और बाध्यकर होगा, किराया किश्त क्रेता द्वारा व्यावसायिक भूखंड के आवंटन के लिए उसके द्वारा दिये गये आवेदन पत्र में कोई गलत बयान किया गया हो या किन्हीं सारवान तथ्यों को छिपाया गया हो तो स्वामी के लिए किराया किश्त क्रेता को बेदखल करना और सम्पत्ति का कब्जा लेना विधिपूर्ण होगा और तब यह अनुबंध समाप्त समझा जायेगा और किराया किश्त क्रेता द्वारा इस प्रकार जमा की गई धनराशि का स्वामी को समपहरण हो जायेगा।

(ध) स्वामी एतद्वारा सहमत है कि किराया किश्त क्रेता इस विलेख के अनुसार उसके द्वारा देय सभी भुगतान करके और इसमें दी गई सभी शर्तों को पूरा करके और उनका पालन करके उक्त अवधि के दौरान स्वामी या उसके अधीन विधिपूर्वक दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी विधिपूर्ण विघ्न या बाधा के सिवाय उक्त सम्पत्ति को किरायेदार के रूप में शान्तिपूर्वक ग्रहीत करेगा और उसका उपभोग करेगा।

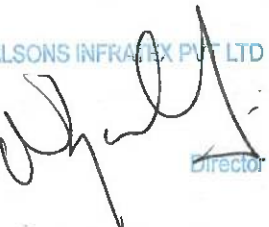
इसमें इसके पूर्व दी गई बात के होते हुए भी किरायेदार एतद्वारा किराया किश्त क्रेता के मूल्य में जो परिषद द्वारा नियत किया गया हो, भूमि के प्रकार में वृद्धि होने के कारण, या ठेकेदार के न्यायालय में जाने के परिणामस्वरूप ठेकेदार के बिल में वृद्धि होने के कारण या ऐसी अन्य आकस्मिकता के कारण जिसका एतदपश्चात् विनिश्चय किया जाए, कोई वृद्धि होने से उसका भुगतान करने के लिए सहमत है ऐसा भुगतान व्यय में इस प्रकार वृद्धि की आनुपातिक धनराशि होगी जो परिषद द्वारा नियत की जायेगी और किरायेदार के लिए अन्तिम और बाध्यकर होगी।


सम्पत्ति प्रबन्धक

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
वसुधरा, गाजियाबाद

For OVEARTH PRIVATE LIMITED For JINDALSONS INFRATEX PVT LTD


Director


Director



[7]

- (न) उक्त भूखंड का किराया-किश्त क्रेता एतद्वारा भूखण्ड के कब्जे की दिनांक से 05 वर्ष के भीतर भूखंड पर भूखण्ड का निर्माण करने और निर्माण कार्य पूरा करने के लिए सहमत है जिसमें विफल रहने पर परिषद द्वारा भूमि का पुनर्ग्रहण किया जा सकेगा। किराया किश्त क्रेता निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूखण्ड का नक्शा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराएगा।
3. स्वामी एतद्वारा किराया किश्त क्रेता को किराया किश्त कय की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विहित प्रपत्र में उसके साथ हस्तान्तरण विलेख निष्पादित करके उक्त सम्पत्ति का अन्तरण करने के लिए सहमत है परन्तु यह कि उसने ऐसे निष्पादन के पूर्व स्वामी की और सार्वजनिक निकायों को, यदि कोई हो, सभी देयों का भुगतान कर दिया हो। किराया किश्त क्रेता इसके बाद किरायेदार नहीं रहेगा और पैरा-5 में यथा उपबंधित निष्पादित किए जाने वाले हस्तान्तरण विलेख के उपबंधों के अधीन रहते हुए सम्पत्ति का पटटेदार के रूप में स्वामी हो जायेगा।
4. हस्तान्तरण विलेख सामान्यतः स्वामी द्वारा किराया किश्त कय को अवधि की समाप्ति के पश्चात् निष्पादित किया जायेगा, फिर भी यदि किराया किश्त क्रेता ने इसके पूर्व किरायेदारी समाप्त करने और सम्पत्ति का स्वामित्व उसमें निहित करने के लिए आवेदन किया जो और यदि किराया किश्त क्रेता स्वामी द्वारा, (जिसका विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकर होगा) की गई संगणना के अनुसार पूरा भुगतान कर देता है, तो स्वामी हस्तान्तरण विलेख निष्पादित करेगा।
5. यदि उक्त विनियमों और उनके अधीन किए गये अनुबंध की शब्दावली के निर्वचन के या अनुबंध के अनुसार किये गये या किये जाने के लिए प्रस्तावित किसी विनिश्चय के बारे में कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न हो तो आवास आयुक्त विनिश्चय करेंगे और किराया किश्त क्रेता के लिए संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक ऐसा विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकर होगा।
6. किराया-किश्त क्रेता कब्जा के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के भीतर निर्माण कार्य पूरा कराएगा।
7. प्रस्तावित निर्माण कार्य का नक्शा आवंटी द्वारा परिषद के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराया जायेगा।
8. व्यावसायिक भूखण्ड का एफ0ए0आर0 नियमानुसार अनुमन्य होगा।
9. विद्युत/ट्रांसफार्मर का व्यय स्वयं क्रेता को व्यय करना होगा।
10. व्यावसायिक भूखण्ड के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन/परिषद द्वारा बनाये गये नियम, आवंटन की तिथि से प्रभावी होंगे।
11. विक्रय विलेख निष्पादित कराने का दायित्व किराया किश्त क्रेता का होगा। उक्त विलेख में उल्लिखित नियमों व प्राविधानों में विक्रय विलेख के निष्पादन सम्बन्धी व्ययों का भुगतान विक्रय विलेख निष्पादन से पूर्व अथवा बाद में समय-समय पर बनाये गये शासन/परिषद के नियम क्रेता को मान्य होंगे।


सम्पत्ति प्रबन्धक

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद

For OVEARTH PRIVATE LIMITED


Director

For JINDALSONS INFRATEK PVT LTD


Director



[9]

अनुसूची-3
(किराया-किश्त क्रय अनुबन्ध का अनुलग्नक)

किराया-किश्त क्रय के उपबन्ध

1. यह उपबन्ध किराया किश्त क्रेता पर लागू होंगे जो और जिसके साथ-साथ उसके व्यावसायिक भूखण्ड का प्रत्येक उपयोगकर्ता संयुक्त रूप से पृथक-पृथक उनका पालन करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
2. किराया किश्त क्रेता अपने व्यावसायिक भूखण्ड के भीतर कूड़े, रददी कागजों, बुहारन, रसोईघर और भोजन की अपशिष्ट सामग्री, कूड़ा करकट और इसी प्रकार की वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए एक पात्र (कूड़ाघर) रखेगा और प्रत्येक व्यक्ति ऐसी बेकार चीजों को ऐसे पात्र में डालेगा और कहीं अन्यत्र नहीं डालेगा।
3. ऐसे पात्र में पड़ी हुई सामग्री को प्रतिदिन, उसे रास्ते में बिखराए बिना, इस प्रयोजन के लिए आरक्षित स्थान पर हटायेगा।
4. स्नान घर और शौचालय जैसी स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग इस ढंग से किया जायेगा कि कोई नाली कूड़ा-करकट, रददी कागज बुहारन या इसी प्रकार की चीजों से रुकने न पायें।
5. किसी कूड़ादान या कचरा रखने की पेटी को किराया किश्त क्रेता के व्यावसायिक भूखण्ड के बाहर या गलियारे या रास्ते में नहीं रखा जायेगा।
6. व्यावसायिक भूखण्ड के साझे के भाग खुले स्थान का उपयोग मूत्रालय के रूप में नहीं किया जायेगा।
7. किराया किश्त क्रेता के व्यावसायिक भूखण्ड या साझा भाग के या सड़क के किसी भाग में कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं बिखेरा जायेगा और चारों ओर पास-पड़ोस को स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखा जायेगा।
8. व्यावसायिक भूखण्ड के या कालोनी के किसी भाग का उपयोग खतरनाक, ज्वलनशील या आपत्तिजनक सामग्री रखने या उसका भंडार या ढेर लगाने के लिए नहीं किया जायेगा।
9. व्यावसायिक भूखण्ड के किसी भाग में एक दुधारू गाय या भैंस के अतिरिक्त किसी पशु या पक्षी को उस प्रयोजन के लिए उपयुक्त व्यवस्था किये बिना नहीं रख जायेगा।
10. प्रत्येक व्यक्ति इस बात का ध्यान रखेगा कि सम्पत्ति को कोई क्षति न हो या उसका क्षय न हो।
11. प्रत्येक व्यक्ति इस बात की सावधानी रखेगा कि पानी का नल या उसकी फिटिंग्स पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और बिजली की लाईन और उसके से कोई बिगाड़ने न पायें।
12. सम्पत्ति का दुरुपयोग जैसे साझा गलियारो, साझा रास्ता, सीढ़ियों, चबूतरा प्रवेश मार्ग बनाने के लिए नहीं किया जायेगा, न करने की अनुमति दी जायेगी।


सम्पत्ति प्रबन्धक

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्
वसुन्धरा, गाजियाबाद

For OVEARTH PRIVATE LIMITED

For JINDALSONS INFRATEXT LTD


Director


Director



[10]

13. परिसर में कोई वाहन लाने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस बात रखेगा कि निवासियों के निर्बाध आवागमन में कोई अवरोध उत्पन्न न हो।

14. उपर्युक्त किसी भी उपबन्ध का पालन न करना अनुबन्ध के निबन्धनों का उल्लंघन करना होगा और परिषद ऐसे उल्लंघन के लिए किराया किश्त केता के विरुद्ध उनके बीच निष्पादित अनुबन्ध के अधीन उसमें निहित शक्ति के अनुसार कार्यवाही करेगी।

15. आवंटी परिषद के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर मानचित्र स्वीकृत कराकर ही निर्माण कार्य करायेगें।

16. व्यावसायिक भूखण्ड के निवेशकों/आवंटियों द्वारा अपने सदस्यों/ग्राहकों को आवंटित भूखण्ड पर निर्मित सम्पत्ति की रजिस्ट्री करने का अधिकार नहीं होगा जब तक उनकी परिषद से पूर्ण देयता समाप्त नहीं हो जाती। परिषद के प्रति देयता समाप्त होने एवं निवेशक/आवंटी के पक्ष में परिषद की ओर से रजिस्ट्री होने पर ही निवेशक/आवंटी द्वारा ग्राहकों के पक्ष में रजिस्ट्री करने का अधिकार होगा।

17. व्यावसायिक भूखण्ड सम्पत्तियों के आवंटियों को आवंटित सम्पत्ति के सापेक्ष भूखण्ड/प्लैट/सम्पत्ति की एग्रीमेन्ट टू सेल (Agreement to sale) के सापेक्ष जो भी विक्रय धनराशि (Sale Proceed) प्राप्त होगी उसकी 50 प्रतिशत धनराशि परिषद के निर्धारित सीमा तक जमा करनी होगी। यह बाध्यता प्रत्येक एग्रीमेन्ट टू सेल में उस दशा में होगी जब तक व जिस सीमा तक परिषद की किस्ते (धनराशि) आवंटी पर बकाया हो, प्रभावी रहेगी।

18. निवेशको (व्यावसायिक भूखण्डों के आवंटी) द्वारा उपरोक्त देय भुगतान शिड्यूल के अनुसार भुगतान न किये जाने की अथवा अनुबन्ध के प्रावधानों/शर्तों के उल्लंघन की दशा में परिषद को देय धनराशि को भू-राजस्व की भांति धनराशि वसूल करने का अधिकार होगा।

19. आवंटित सम्पत्ति के सापेक्ष परिषद को पूर्ण भुगतान प्राप्त होने तक सम्पत्ति विक्रय द्वारा किसी प्रकार की वसूली का प्रथम अधिकार परिषद का होगा।

For OVEARTH PRIVATE LIMITED For JINDALSONS INFRATEX PVT LTD


सम्पत्ति प्रबन्धक

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद


Director


Director

20

20. 10. 2020
20. 10. 2020
20. 10. 2020



फोटो प्रपत्र

बही नं०	जिल्द	पृष्ठ सं०	लेखपत्र सं०	निबन्धन दिनांक	
					पक्षकारों के फोटो

नाम:-

पता:-स०प्र० कार्यालय, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, हॉल संख्या-एस०-1, सेक्टर-16ए, वसुन्धरा काम्पलैक्स, वसुन्धरा, गाजियाबाद, उ०प्र०-201012



सम्पत्ति प्रबन्धक
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद

मैसर्स ओवर्थ प्रा० लि० पता-2, एस०/एफ०, मानक विहार, दिल्ली-110092 के डायरेक्टर श्री विजय कुमार शर्मा पुत्र श्री हुकुम चंद शर्मा निवासी-307, शिप्रा कृष्ण अजर, कौशाम्बी, गाजियाबाद उ०प्र० एवं मैसर्स जिन्दल सन्स इन्फाटेक्स प्रा० लि० पता-ग्राउण्ड फ्लोर, डी-142, ग्राउण्ड फ्लोर, सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर, नोएडा, उ०प्र०-201301 के डायरेक्टर श्री निकुंज जिंदल पुत्र श्री आनन्द जिंदल, पता-2, तृतीय तल, मानक विहार, दिल्ली-110092



OVEREARTH PRIVATE LIMITED



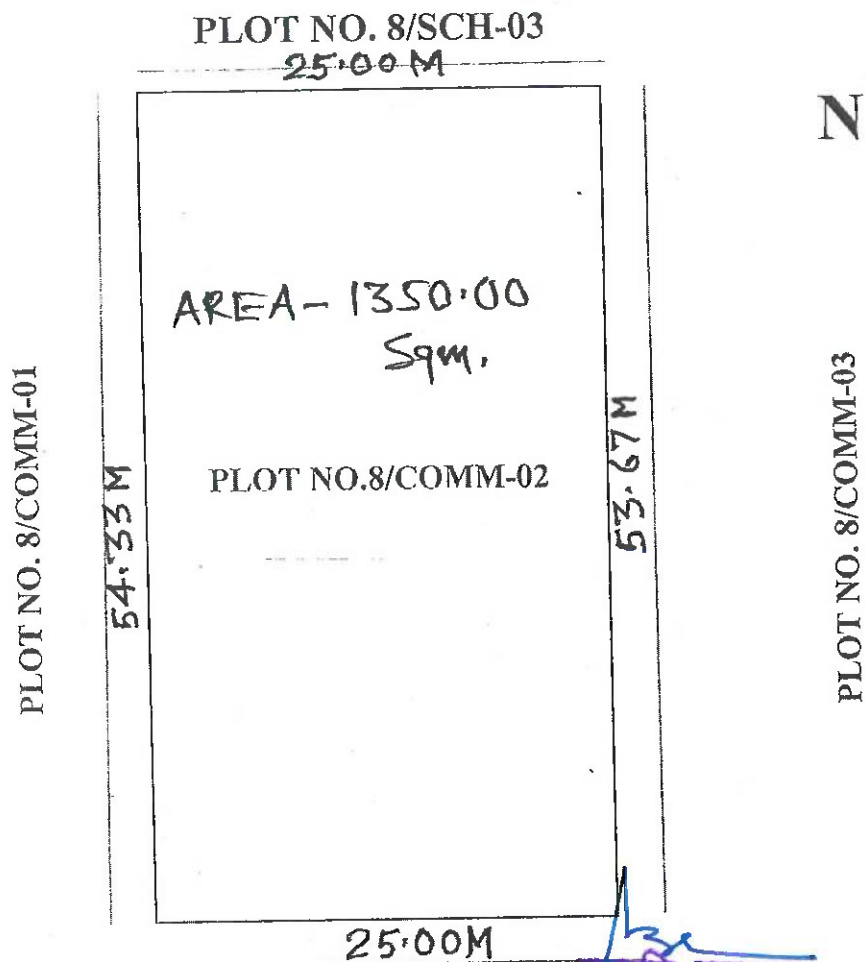
For JINDAL SONS INFRA/TEX/PV





SITE PLAN OF COMMERCIAL PLOT OF SECTOR-8, PLOT NO. 8/COMM-02, AT SIDDHARTH VIHAR YOJNA, GHAZIABAD

OWNER'S NAME -Mr./Mrs..... Ovearth Pvt. Ltd. & Jindal Sons 3/10/2025
PLOT NO:-08/COMM-02, AT SIDDHARTH VIHAR YOJNA, GHAZIABAD. Pvt. Ltd.
PLOT SIZE:-..... PLOT AREA:- **1350.00 SQM.**



For OVEARTH PRIVATE LIMITED

[Signature]
Director

50.00 M. WIDE ROAD प्र. आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद

SITE PLAN

ONLY FOR REGISTRY

(-: NOT TO SCALE:-)

For JINDALSONS INFRA PVT LTD

<u>[Signature]</u> OWNER	<u>[Signature]</u> D/MAN	<u>[Signature]</u> JUNIOR ENGINEER	<u>[Signature]</u> ASST. ENGINEER
-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
C.D. GHAZIABAD-02, U.P. AWAS EVAM VIKAS PARISHAD
VASUNDHARA YOJNA, GHAZIABAD

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header, which is mostly illegible due to fading.

Handwritten text in the middle of the page, possibly a date or a reference number, which is mostly illegible due to fading.



स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश

पूर्व रजिस्ट्रीकरण विवरण

आवेदन संख्या: 202500739066778

जनपद: गाजियाबाद

तहसील: गाजियाबाद

उप निबंधक: सदर द्वितीय

संपत्ति का विवरण	: भोइलवा/गांव : सिराथ विहार योजना वाड्ड/परगना : प्रताप विहार संपत्ति का विवरण : प्लॉट नं-8/कोम-2 सेक्टर-8 सिडार्थ विहार योजना, 1350.0 वर्ग मीटर, पूर्व- , पश्चिम- , उत्तर- , दक्षिण-
अभिप्रेत प्रकार	: विक्रय अनुबंध विलेख (कब्जा)
प्रथम पक्ष	: मैसर्स उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, पैन न०- , मोबाइल संख्या- , निवासी- ।
द्वितीय पक्ष	: मैसर्स ओपअर्थ प्रा० लि०, पैन न०- , मोबाइल संख्या- , निवासी- । मैसर्स बिन्दल सन्स इन्फोटेक्स प्रा० लि०, पैन न०- , मोबाइल संख्या- , निवासी- ।
निष्पादन तिथि	: 05-08-2025
निबंधन शुल्क	: 1.02066e+06 (ई-पुस्तान) चालान सं०
स्टाम्प मूल्य	: ₹ 14300000 ई-स्टाम्प सं० IN-UP70692061166472X
घातविक वाज्यारी मूल्य	: ₹ 204129450.00
प्रतिफल	: ₹ 204129450

मैं/हम एतद्वारा यह घोषणा करते हैं कि इस ऑनलाइन आवेदन में समस्त प्रविष्टियां संबंधित लेखपत्र में निहित तथ्यों के अनुरूप हैं।

मैं आधार धारक, इसके द्वारा स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश को मेरे आधार नंबर को ई.के.वाई.सी. एवं पहचान के सत्यापन के लिए अपने अंगूठे के स्कैन के माध्यम से यू.आई.डी.ए.आई. को मेरे आधार नंबर, बायोमेट्रिक आदि का उपयोग करने की सहमति देता हूँ। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश ने मुझे सूचित किया है कि मेरा आधार नंबर और साथ ही बायोमेट्रिक को संग्रहित/ साझा नहीं किया जाएगा और संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया में मदद करने के लिए केवल मेरी पहचान सत्यापन के लिए प्रयोग किया जाएगा।

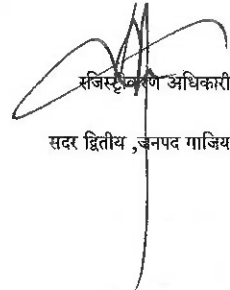


हस्ताक्षर

(प्रथम पक्ष)

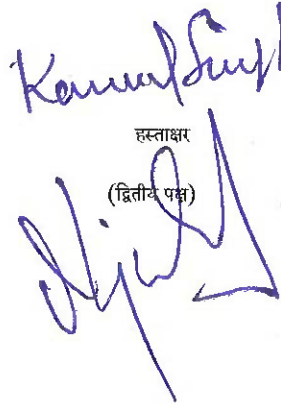
निबंधन लिपिक

सदर द्वितीय, जनपद गाजियाबाद



रजिस्ट्रेशन अधिकारी

सदर द्वितीय, जनपद गाजियाबाद



हस्ताक्षर

(द्वितीय पक्ष)



[8]

जिसके साक्ष्य में श्री नृपेन्द्र बहादुर सिंह, सम्पत्ति प्रबन्धक ने परिषद के लिए और उसकी ओर से और मैसर्स ओवर्थ प्रा० लि० पता-2, एस०/एफ०, मानक विहार, दिल्ली-110092 के डायरेक्टर श्री विजय कुमार शर्मा पुत्र श्री हुकुम चंद शर्मा निवासी-307, शिप्रा कृष्ण अजर, कौशाम्बी, गाजियाबाद उ०प्र० एवं मैसर्स जिन्दल सन्स इन्फ्राटेक्स प्रा० लि० पता-ग्राउण्ड फ्लोर, डी-142, ग्राउण्ड फ्लोर, सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर, नोएडा, उ०प्र०-201301 के डायरेक्टर श्री निकुंज जिंदल पुत्र श्री आनन्द जिंदल, पता-2, तृतीय तल, मानक विहार, दिल्ली-110092 के रूप में स्वेच्छा और सम्मति से किसी प्रभाव या प्रपीडन के बिना, साक्षियों की उपस्थिति में एतद्वारा अपने-अपने हस्ताक्षर किये।

अनुसूची-1

सिद्धार्थ विहार योजना, सेक्टर संख्या 08 में स्थित व्यावसायिक भूखण्ड संख्या-8/कॉम-02 सम्पूर्ण व्यावसायिक भूखण्ड जिसमें क्षेत्रफल 1350.00 वर्गमी० भूमि समाविष्ट है।

सम्पत्ति की सीमा निम्नलिखित हैं :-

उत्तर
पूर्व
दक्षिण
पश्चिम.....

संलग्न
साईट प्लान
के
अनुसार

अनुसूची-2

इस अनुबन्ध पत्र पर इसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों के उपरोक्त दिनांक, मास और वर्ष को अपने हस्ताक्षर किए :-

स्थान :-गाजियाबाद	
दिनांक	

1-साक्षी :

1.हस्ताक्षर
2. नाम
3. पता

विक्रेता के लिए और उसकी ओर से

2-साक्षी :

1.हस्ताक्षर
2. नाम
3. पता

सम्पत्ति प्रबन्धक
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद
(कृते आवास आयुक्त)

1-साक्षी :

1.हस्ताक्षर
2. नाम
3. पता

For JINDALSONS INFRATEX PVT. LTD

2-साक्षी :

1.हस्ताक्षर
2. नाम
3. पता

क्रेता के लिए और उसकी ओर से
For OVEARTH PRIVATE LIMITED

GARDEN SAHIBABAD 62B

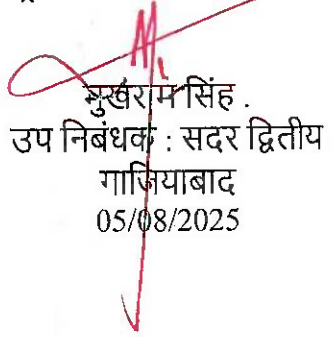
मैसर्स ओवर्थ प्रा० लि० पता-ग्राउण्ड फ्लोर, एच-73, सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर-201301 एवं मैसर्स जिन्दल सन्स इन्फ्राटेक्स प्रा० लि० पता-8, सी०एस०सी०, विज्ञान विहार, दिल्ली-110092 के डायरेक्टर श्री निकुंज जिंदल पुत्र श्री आनन्द जिंदल, निवासी-2, तृतीय तल, मानक विहार, दिल्ली 110092



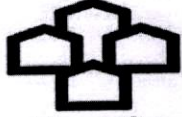
आवेदन सं०: 202500739066778

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 22855 के पृष्ठ 145 से 174 तक क्रमांक 9408 पर
दिनांक 05/08/2025 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


मुखराम सिंह.
उप निबंधक : सदर द्वितीय
गाजियाबाद
05/08/2025





पत्र सं०-

/स०प्र०-गाजि०/

दिनांक-

कार्यालय आदेश

परिषद की सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद के सेक्टर-8 में ई-नीलामी में व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-8/कॉम-02 मैसर्स ओवअर्थ प्रा०लि० के पक्ष में कार्यालय प्रदेशन पत्र संख्या-4582 दिनांक 28.12.2023 द्वारा आवंटित है। मैसर्स ओवअर्थ प्रा०लि० ने भूखण्ड में फर्म के नाम के साथ मैसर्स जिंदलसंस इंफ्राटेक्स प्रा०लि० का नाम संयुक्त रूप से सम्मिलित करने की औपचारिकताये पूर्ण की गयी है। इस कार्यालय के पत्र संख्या-3583 दिनांक 26.10.2024 के क्रम में साझीदार का नाम जोड़ने का शुल्क रू०-20,56,295.00 व जी०एस०टी० की धनराशि रू०-3,70,133.00 दिनांक 14.11.2024 को परिषद खाते में जमा कर दी गयी है। जमा धनराशि की पुष्टि पी०ई०एम०एस० पोर्टल से कर ली गयी है।

प्रस्तुत प्रपत्रों के आधार पर उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की अनावासीय सम्पत्तियों के निस्तारण सम्बन्धी प्रस्ताव/कार्यालय आदेश विनियमावली 2016 (यथासंशोधित) विनियम-24 के नियम-7 के आलोक में व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-8/कॉम-02 में मैसर्स ओवअर्थ प्रा०लि० के नाम के साथ साझीदार के रूप में मैसर्स जिंदलसंस इंफ्राटेक्स प्रा०लि० का नाम संयुक्त रूप से सम्मिलित करने के एतद्वारा आदेश दिये जाते हैं। भविष्य में मूल आवंटी/संस्था मैसर्स ओवअर्थ प्रा०लि० का नाम किसी भी दशा में नहीं हटाया जा सकेगा। शेष नियम व शर्तें पूर्ववत् रहेगी।

भवदीय

(नृपेन्द्र बहादुर सिंह)

सम्पत्ति प्रबन्धक

दिनांक 22-11-24

पृ०सं० 3770

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।

- 1 मैसर्स ओवअर्थ प्रा०लि० पता-ग्राउण्ड फ्लोर, एच-73, सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर 201301
- 2 मैसर्स जिंदलसंस इंफ्राटेक्स प्रा०लि० पता-सी०एस०सी०, 08, विज्ञान विहार, दिल्ली-110092

सम्पत्ति प्रबन्धक